

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रमों./92/2009/2675
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5/08/2009

जिला शिक्षा अधिकारी,
सागर,बालाघाट,झाबुआ एवं भोपाल
मध्यप्रदेश ।

विषय :- ग्रंथपाल संवर्ग के 12 अथवा 24 वर्ष की सेवा उपरान्त क्रमोन्नति के प्रकरणों का निराकरण बावत् ।


—00—

उपर्युक्त विषय में लेख है कि विभिन्न जिलों से प्राप्त ग्रंथपाल संवर्ग के क्रमोन्नति के प्रकरणों में दिनांक 20.08.2009 को संचालनालय स्तर पर विभागीय समिति को बैठक आहूत की गई थी । बैठक में निम्नांकित प्रकरणों में पात्रता वर्षों से भिन्न गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य व्यवहार प्रतिवेदन एवं इन वर्षों में जांच इत्यादि की जानकारी या अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण समिति द्वारा उन प्रकरणों को परिभ्रमण में रखा गया है । नीचे तालिका में अंकित नाम के सम्मुख कालम-05 में अंकित वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य व्यवहार प्रतिवेदन एवं इन वर्षों में जांच इत्यादि की जानकारी दें :-

स.क्र.	ग्रंथपाल संवर्ग के कर्मचारी का नाम/पदनाम	कार्यरत संस्था	12 अथवा 24 की पात्रता तिथि	पात्रता तिथि से पूर्व 05 वर्षों के गो.च. अथवा प्रकरण की अपूर्ण स्थिति का विवरण
12 वर्ष की सेवा वाले परिभ्रमण में अनुशंसित				
1.	श्री आर.एस.खरे,सेवानिवृत्त ग्रंथपाल	जिला पुस्तकालय,सागर	19.04.99	01 से 05
2.	श्री एन.के.बर्वे,ग्रंथपाल	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बालाघाट	10.12.04	05 से 09
24 वर्ष की सेवा वाले परिभ्रमण में अनुशंसित				
1.	श्री निरंजन सिंह,ग्रंथपाल	जिला पुस्तकालय,झाबुआ	10.09.04	03 से 08
2.	श्री अब्दुल कय्यूम खान, बुकलिफ्टर	क्षेत्रीय ग्रंथपाल,मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय,भोपाल	26.04.03	जिले से जानकारी का प्रस्ताव अप्राप्त है । यदि इनकी 24 वर्ष की सेवा क्रमोन्नति नियमों के प्रकाश में पूर्ण की है तो निर्धारित प्रपत्र में पात्रता तिथि से पूर्व के पाँच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन एवं इन वर्षों की जांच इत्यादि की जानकारी के साथ प्रस्ताव भेजें ।

निरंतर...2...

2/ अतः आपके जिले से संबंधित उपरोक्त अभिलेख/जानकारी एक सप्ताह में इस कार्यालय के सहायक संचालक (स्थापना-3) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ताकि प्रकरण में पुनरीक्षित बैठक आहूत की जाकर उक्तानुसार परिभ्रमण के प्रकरणों का निराकरण किया जा सकें। कृपया प्रकरण में स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं हो और वांछित जानकारी निर्देशानुसार संचालनालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।


संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रगो./92/2009/2667

भोपाल, दिनांक 5.09.2009

:: आदेश ::

ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) वेतनमान 4500-7000 के पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेआप्र) के ज्ञाप क्र. एफ-1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17.03.99/19.04.1999, दिनांक 3/17.05.2000 तथा विभागीय समिति की अनुशंसा दिनांक 20.08.2009 के द्वारा उपयुक्त पाये गये निम्नांकित ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) को 12 वर्ष की सेवा उपरान्त देय क्रमोन्नति वेतनमान 5000-8000 नीचे उनके नाम के सम्मुख कालन-6 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

स. क्र.	कर्मचारी का नाम	कार्यरत संस्था का नाम	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) के पद पर नियुक्ति दिनांक	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का दिनांक	क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1.	श्रीमती सुनन्दा श्रीवास्तव	शा.उ.मा.वि.सागर	18.02.82	18.02.92	19.04.99
2.	श्री कृष्णवल्लभ जोशी	सेवानिवृत्त ग्रंथपाल, जिला धार	29.09.82	29.09.94	19.04.99
3.	श्री राम सिंह तोमर	प्राचार्य, शा.उमावि हरिदर्शन लश्कर, ग्वालियर	01.07.92	01.07.04	01.07.04
4.	श्री अजय श्रीवास्तव	शा.केन्द्रीय पुस्तकालय, रीवा	30.06.92	30.06.04	30.06.04
5.	श्रीमती उषा श्रीवास	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	30.06.92	30.06.04	30.06.04
6.	श्री सुभाषचन्द्र सोले	शा.उमावि महाराजवाड़ा क्रं.3 उज्जैन	02.07.92	02.07.04	02.07.04
7.	श्री सतीशचन्द्र शर्मा	शा.उमावि दौलतगंज, उज्जैन	30.06.92	30.06.04	30.06.04

निरन्तर 2/

2/ उक्त क्रमोन्नत वेतनमान देने के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या संस्था प्रमुख द्वारा निम्नांकित तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर ही क्रमोन्नत वेतनमान की कार्रवाई की जाये :-

- (1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 17.03.99/19.04.1999, दिनांक 3/17.05.2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देय होगा ।
- (2) संबंधित लोक सेवक की सेवापुस्तिका से यह पुष्टि कर ली जाये कि जिस संवर्ग पद में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण की है उसे क्रमोन्नत वेतनमान पात्रता तिथि से ही दिया गया है ।
- (3) संवर्ग पद में क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता तिथि को विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण इत्यादि रहे हो और उसमें दोषी पाये गये हो/ऐसे प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हो, तो उन्हें उपरोक्त क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं देते हुये उनके संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्रमोन्नति वेतनमान निरस्तीकरण के लिए तत्काल संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जाये ।
- (4) यदि किसी लोक सेवक के द्वारा अपने सेवाकाल में किसी पदोन्नति का परित्याग किया है तो उसे उक्तानुसार क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता नहीं रहेगी और उनके क्रमोन्नत वेतनमान निरस्तीकरण का प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किये जायेंगे ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

सहायक संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 5.09.2009

पू.क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रमो./92/2009/2668
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. कोषालय अधिकारी, जिला-सागर, धार, ग्वालियर,रीवा,भोपाल एवं उज्जैन मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सागर, धार, ग्वालियर,रीवा,भोपाल एवं उज्जैन मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. संबंधित श्रीमती _____
की ओर सूचनार्थ ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रमो./92/2009/2669

भोपाल, दिनांक 5.08.2009

:: आदेश ::

ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) वेतनमान 4500-7000 के पद पर 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेआप्र) के ज्ञाप क्र. एफ-1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17.03.99/19.04.1999, दिनांक 3/17.05.2000 तथा विभागीय समिति की अनुशंसा दिनांक 20.08.2009 के द्वारा उपयुक्त पाये गये निम्नांकित ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) को 24 वर्ष की सेवा उपरान्त देय क्रमोन्नति वेतनमान 5500-9000 नीचे उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	कार्यरत संस्था का नाम	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) के पद पर नियुक्ति दिनांक	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का दिनांक	क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राम सिंह माहौर	केन्द्रीय पुस्तकालय, ग्वालियर	23.02.82	23.02.06	23.02.06
2.	श्री राजेन्द्र उपमन्यु	शा. मुरार क्रं.1 ग्वालियर	09.08.82	09.08.06	09.08.06
3.	श्री धनश्याम दास अग्रवाल	प्रभारी, क्षेत्रीय ग्रंथपाल, शा. अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय, इन्दौर	23.12.80	23.12.04	23.12.04

2/ उक्त क्रमोन्नत वेतनमान देने के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या संस्था प्रमुख द्वारा निम्नांकित तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर ही क्रमोन्नत वेतनमान की कार्रवाई की जाये :-


- (1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 17.03.99/19.04.1999, दिनांक 3/17.05.2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देय होगा ।
- (2) संबंधित लोक सेवक की सेवापुस्तिका से यह पुष्टि कर ली जाये कि जिस संवर्ग पद में 24 वर्ष की सेवा पूर्ण की है उसे क्रमोन्नत वेतनमान पात्रता तिथि से ही दिया गया है ।



निरन्तर 2/

- (3) संवर्ग पद में क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता तिथि को विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण इत्यादि रहे हो और उसमें दोषी पाये गये हो/ऐसे प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हो, तो उन्हें उपरोक्त क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं देते हुये उनके संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्रमोन्नति वेतनमान निरस्तीकरण के लिए तत्काल संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जाये ।
- (4) यदि किसी लोक सेवक के द्वारा अपने सेवाकाल में किररी पदोन्नति का परित्याग किया है तो उसे उक्तानुसार क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता नहीं रहेगी और उनके क्रमोन्नत वेतनमान निरस्तीकरण का प्रस्ताव संबंधित जिले द्वारा संचालनालय को प्रेषित किये जायेंगे ।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रमो./92/2009/2670
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 5 .09.2009

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. कोषालय अधिकारी, जिला-ग्वालियर एवं इन्दौर मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-ग्वालियर एवं इन्दौर मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. संबंधित श्रीमती _____
की ओर सूचनार्थ ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रमो./92/2009/2673

भोपाल, दिनांक 5.09.2009

:: आदेश ::

ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान) वेतनमान 3500-5200 के पद पर 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेआप्र) के ज्ञाप क्र. एफ-1-1/1 /वेआप्र /99, दिनांक 17.03.99/19.04.1999, दिनांक 3/17.05.2000 तथा विभागीय समिति की अनुशंसा दिनांक 20.08.2009 के द्वारा उपयुक्त पाये गये निम्नांकित ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान) को 24 वर्ष की सेवा उपरान्त देय क्रमोन्नति वेतनमान 4500-7000 नीचे उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	कार्यरत संस्था का नाम	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) के पद पर नियुक्ति दिनांक	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का दिनांक	क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1.	श्री के.एस.राजपूत	शा.उ.मा.वि.गोरखी, ग्वालियर	29.11.80	29.11.04	29.11.04


2/ उक्त क्रमोन्नत वेतनमान देने के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या संस्था प्रमुख द्वारा निम्नांकित तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर ही क्रमोन्नत वेतनमान की कार्रवाई की जाये :-

- (1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 17.03.99/19.04.1999, दिनांक 3/17.05.2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देय होगा ।
- (2) संबंधित लोक सेवक की सेवापुस्तिका से यह पुष्टि कर ली जाये कि जिस संवर्ग पद में 24 वर्ष की सेवा पूर्ण की है उसे क्रमोन्नत वेतनमान पात्रता तिथि से ही दिया गया है ।

निरन्तर 2

- (3) संवर्ग पद में क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता तिथि को विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण इत्यादि रहे हो और उसमें दोषी पाये गये हो/ऐसे प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हो, तो उन्हें उपरोक्त क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं देते हुये उनके संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्रमोन्नति वेतनमान निरस्तीकरण के लिए तत्काल संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जाये ।
- (4) यदि किसी लोक सेवक के द्वारा अपने सेवाकाल में किसी पदोन्नति का परित्याग किया है तो उसे उक्तानुसार क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता नहीं रहेंगी और उनके क्रमोन्नत वेतनमान निरस्तीकरण का प्रस्ताव संबंधित जिले द्वारा संचालनालय को प्रेषित किये जायेंगे ।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रमो./92/2009/2674
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 5.09.2009

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. कोषालय अधिकारी, जिला-ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. संबंधित श्रीमती _____
की ओर सूचनार्थ ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रमो./92/2009/2676

भोपाल, दिनांक 5.08.2009

:: संशोधित आदेश ::

ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) वेतनमान 4500-7000 के पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेआप्र) के ज्ञाप क्र. एफ-1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17.03.99/19.04.1999, दिनांक 3/17.05.2000 तथा विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर, उपयुक्त पाये जाने पर संचालनालय के आदेश क्रमांक 4743-4744 भोपाल, दि.17.12.2007 के स.क्रं.-2 पर अंकित श्रीमती संध्या तोमर, ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान), शा. उमावि नूतन सुभाष, भोपाल को 12 वर्ष की सेवा उपरान्त देय क्रमोन्नति वेतनमान 5000-8000 स्वीकृत किया गया था। जिसमें निम्नानुसार तिथियों में आंशिक संशोधन किया जाता है।

स. क्र.	कर्मचारी का नाम	कार्यरत संस्था का नाम	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) के पद पर नियुक्ति दिनांक	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का दिनांक	क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1.	श्रीमती संध्या तोमर	शा.उ.मा.वि.नूतन सुभाष भोपाल	08.07.93	08.07.05	08.07.05

आदेश की शेष शर्तें पूर्व आदेश दि.17.12.2007 के अनुसार पूर्ववत् लागू रहेंगी।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 5.08.2009

पृ.क्र./स्था.3/ग्रंथा./डी-2/क्रमो./92/2009/2677

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. कोषालय अधिकारी, जिला-भोपाल मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भोपाल मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. संबंधित श्रीमती _____
की ओर सूचनार्थ ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

